

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 332]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 30 जुलाई 2019—श्रावण 8, शक 1941

उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 जुलाई 2019

क्र. एफ-6-1-2019-अट्टावन-शुद्धि-पत्र.—विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 27 जुलाई 2019 द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत मौसम आधारित फसल बीमा योजना के लिए जारी अधिसूचना के परिशिष्ट-1 में कलस्टर A, B, C, D एवं E में इश्योरेंस कंपनी का नाम के सम्मुख यूनाइटेड इंडिया इश्योरेंस अंकित हो गया है अब उक्त अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुये उसके स्थान पर कलस्टर-A में यूनाइटेड इण्डिया इश्योरेंस कंपनी, कलस्टर-B में एच.डी.एफ.सी. एर्गो जनरल इश्योरेंस कंपनी, कलस्टर-C में यूनाइटेड इण्डिया इश्योरेंस कंपनी, कलस्टर-D में एच.डी.एफ.सी. एर्गो, जनरल इश्योरेंस कंपनी, तथा कलस्टर-E में यूनाइटेड इण्डिया इश्योरेंस कंपनी का नाम पढ़ा जावे.

परिशिष्ट-2 के क्रमांक 6 में अधिसूचित फसलों में प्याज अंकित हो गया है, जिसे विलोपित माना जाये.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

किरण मिश्रा, उपसचिव.